

चूनाराम बनाम मोहनसिंह

24-2-21

अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थिति। अभिभाषक प्रार्थी/रेस्पोजेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रकरण में अपीलांट चूनाराम की मृत्यु दिनांक 15-02-2016 को होने के उपरान्त भी आज दिनांक तक उनके वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने के बाबत् कोई प्रार्थना पत्र अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील अबेट होने के कारण इसी स्तर पर जरिये अबेटमेंट खारिज की जावे। इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी/अपीलांट द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करने के स्थान पर कथन किया गया कि उनके द्वारा अपीलांट चूनाराम के वारिसान को जरिये रजिस्टर्ड डाक न्यायालय में उपस्थित आने हेतु सूचित किया जा चुका है।

प्रकरण में अभिभाषक प्रार्थी/रेस्पोजेन्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ अपीलांट चूनाराम का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार अपीलांट चूनाराम की मृत्यु दिनांक 15-02-2016 को हो चुकी है। अपीलांट चूनाराम की मृत्यु के पाँच वर्ष उपरान्त भी ना तो उनके वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने की कोई कार्यवाही की गई ना ही उनके वारिसान आज दिनांक तक न्यायालय के समक्ष जरिये असालतन/वकालतन उपस्थित आये है। जिससे प्रतीत होता है कि वे प्रस्तुत प्रकरण में किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं रखते है। न्यायालय अंतहीन समय तक पक्षकारों की उपस्थित हेतु इंतजार नहीं कर सकता है व न्याय का यह प्रतिपादित सिद्धान्त है कि सोया हुआ व्यक्ति न्याय प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इस संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत भी अभिनिर्धारित किया गया है कि पक्षकार की मृत्यु के 90 दिवस के भीतर-भीतर वारिसान को रिकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना अपरिहार्य है। जैसा कि प्रकरण में अपीलांट के वारिसान द्वारा नहीं किया गया है। अपीलांट के वारिसान अपने कृत्य के प्रति लापरवाह रहे है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वतः अबेट हो चुकी है। इसके लिए अलग से आदेश प्रसारित करने की भी आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलांट जरिये अबेटमेंट खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफ़्तर हो।

24/2/21
(पुष्पा सत्यानी)
रजिस्ट्रार अपील अधिकारी
बीकानेर

